

14/2/17

राज्य मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मेरठ जिला सिविल मजिस्ट्रेट

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्तगण जेल से पेश नहीं, केवल वारंट प्राप्त। उनकी ओर से अधिवक्ता श्री के०पी० राठौर।

प्रकरण उपार्पण तर्क हेतु नियत है।

उभयपक्ष के उपार्पण तर्क सुने गए।

प्रकरण का अवलोकन किया।

अभियोजन कथा के अनुसार दिनांक 23.12.16 को 8:30 बजे फरियादी की पत्नी विनीता और पिता महेशचंद थापक घर पर थे। पत्नी विनीता ने फरियादी को मोबाईल से सूचना दी कि आरोपी अमरसिंह गुर्जर मकान के अंदर आंगन में घुसकर जहां वह वर्तन धो रही थी, आकर मां बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगा। चिल्लाने पर पिताजी महेशचंद आ गए जिन्होंने गाली देने से रोका तो अमरसिंह ने उनके मुंह में घूंसा मारा जिससे मुंह तथा जबड़े में चोट आई। फरियादी अपने चाचा मनोज को बुलाने गया तो वहां आरोपी अमरसिंह गुर्जर आ गया। फरियादी ने आरोपी से कहा कि उसने घर के अंदर घुसकर गाली गलौंच व पिताजी की मारपीट क्यों कर आए हो। इसी बात पर तीनों उसे बुरी बुरी गालियां देने लगे। रामनिवास, सत्तू उर्फ सतेन्द्र व अमरसिंह गुर्जर ने फरियादी की लाठियों से मारपीट की जिससे दाहिने हाथ की उंगलियों के बीच, बायें बाजू बाएं पैर की जांघ में चोटें आईं। मौके पर चाचा मनोज ने बचाया। जाते समय अमरसिंह, सतेन्द्र उर्फ सत्तू और रामनिवास कह रहे थे आज तो बचा लिया, आईदा जान से खत्म कर देंगे। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद पर की जिस पर से अप०क्र०-374/16 पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

28/2/17
[Signature]

आरोपीगण के विरुद्ध भादवि० की धारा 452, 323, 294, 506, 325, 34, 458 के अधीन पेश किया गया है। धारा 458 भादवि० का आरोप अनन्यतः माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। अतः अभियोगपत्र विचारण हेतु माननीय सत्र न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

प्रकरण मे द०प्र०स० की धारा 207 के अधीन अभियोगपत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की प्रति पूर्व मे दिलाई जा चुकी है।

प्रकरण मे निष्पादन लिपिक आगामी नियत दिनांक के पूर्व माननीय सत्र न्यायालय मे प्रकरण को सुव्यवस्थित कर पहुंचाये जाने की व्यवस्था करे। साथ ही लोक अभियोजक को उर्पापण सबधी सूचना भेजी जाए।

उपार्पण की सूचना मालखाना नाजिर को प्रकरण मे जप्तशुदा संपत्ति को माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु भेजी जाए।

अभियुक्तगण अभिरक्षा में हैं। अतः उनके अभिरक्षा अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना निष्पादन लिपिक सुनिश्चित कराये।

प्रकरण उपार्पण की सूचना मान० सत्र न्यायालय में संधारण की दृष्टि से किए जाने बावत् प्रकरण पत्रावली मय ज्ञापन के मान० सत्र न्यायालय भिण्ड को प्रेषित की जावे।

अभियुक्तगण अभिरक्षा में हैं। अतः जेलर को निर्देशित किया जावे कि वे आगामी दिनांक को अभियुक्तगण को मान० प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के न्यायालय में सुबह 11 बजे प्रस्तुत करें।

प्रकरण माननीय अपर सत्र न्यायालय गोहद के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति हेतु दिनांक 28.02.17 को पेश हो।

(A.K. Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt Bhind (M.P.)

गायिक माजिस्ट्रेट प्रथम क्लास
गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश